



(4)

“राज्य लोक सेवा अभिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड ”

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (iv) के अंतर्गत)

राज्य लोक सेवा अभिकरण नागरिकों को सीधे कोई सेवा प्रदान नहीं करता है, किन्तु सुशासन पर केन्द्रित विभिन्न विभागों की सेवाओं को मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाकर उन विभागों की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाईन उपलब्ध कराने का कार्य करता है।